समाचार

01 जुलाई से चलाए रोका छेका संकल्प अभियान–आयुक्त

(गोठानों की व्यवस्थाओं को करें चुस्त–दुरूस्त, गोबर व खाद का हो सुरक्षित भण्डारण)

(आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने ली अधिकारियों की बैठक, कार्यो की सघन रूप से की समीक्षा)

कोरबा 26 जून 2021 –आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वर्तमान में निगम द्वारा चलाए जा रहे रोका–छेका अभियान को और अधिक प्रभावी बनाते हुए 01 जुलाई से रोका–छेका का संकल्प अभियान चलाएं। पशुपालकों से इस हेतु संकल्प पत्र भरवाएं तथा सड़कों से उठाकर मवेशियों को काउकेचर के माध्यम से सुरक्षित कांजीघर व गोठान भिजवाएं। उन्होने कहा कि गोठानों की व्यवस्थाओं को चुस्त–दुरूस्त करें तथा गोबर व खाद का सुरक्षित भंडारण करते हुए निर्मित किए वर्मी कम्पोस्ट व सुपर कम्पोस्ट की शतप्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करें।

आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना एवं रोका–छेका संबंधी कार्यो की समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 01 जुलाई से रोका–छेका संकल्प अभियान सघन रूप से संचालित किया जाना हैं, अतः वर्तमान में निगम द्वारा किए जा रहे रोका–छेका संबंधी कार्यो को और अधिक प्रभावी बनाते हुए 01 जुलाई से रोका–छेका संकल्प अभियान चलाएं एवं इस हेतु आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दें। उन्होने कहा कि 01 जुलाई को निगम क्षेत्र के समस्त पशुपालकों से इस हेतु संकल्प पत्र भरवाएं कि अपने पालतू मवेशियों को अपने स्थान पर ही रखेंगे तथा शहर की सड़कों में आवारा घूमने के लिए न छोड़ेगे। आयुक्त श्री शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को उठाकर काउकेचर के माध्यम से सीतामणी कोरबा एवं बालको स्थित कांजीघर अथवा गोठानों में सुरक्षित रूप से पहुंचाएं। उन्होने कांजीघरों, गोठानों में चारा, पानी, आदि की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कांजीघरों व गोठानों में चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था हो, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें।

<u>पशुपालकों व पालतू मवेशियों का होगा सर्वे</u>– आयुक्त श्री शर्मा ने राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में निवासरत पशुपालकों व पालतू मवेशियों की जानकारी संकलित करने हेतु त्वरित रूप से सर्वेक्षण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसमें पशुपालक का नाम, मवेशियों की संख्या, मवेशियों हेतु घर में उचित प्रबंधन है या नहीं सहित पशुपालक का मोबाईल नम्बर व पूर्ण पता आदि से संबंधित जानकारी संकलित कर समयसीमा में प्रस्तुत करें। उन्होने कहा कि सर्वेक्षित पशुओं के पालकों से निर्धारित प्रारूप में संकल्प पत्र भरवाएं तथा रिकार्ड को सुरक्षित रखें।

<u>गोबर व खाद का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करें</u>– बैठक के दौरान आयुक्त श्री शर्मा ने गोधन न्याय योजना के कार्यो की समीक्षा करते हुए निगम के विभिन्न गोबर खरीदी केन्द्रों, गोठानों में खरीदे गए गोबर की मात्रा, गोबर से बनाए गए खाद की मात्रा, वर्मी टांका में वर्तमान में डाले गए गोबर की मात्रा तथा शेष गोबर की मात्रा की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि गोबर व खाद का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सभी गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की निर्वाध खरीदी चालू रहे, यह सुनिश्चित करें तथा बनाए गए वर्मी कम्पोस्ट व सुपर कम्पोस्ट की शतप्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिन स्वसहायता समूहों के द्वारा कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है, उनके खाते में खाद विक्रय से प्राप्त राशि समय पर जमा हों, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें।

<u>सभी मुख्य मार्गो में चलाएं अभियान</u>– आयुक्त श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गो में सघन रूप से रोका–छेका अभियान संचालित कराएं। उन्होने कहा कि तानसेन चौक से शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से सुभाष चौक घटाघर, घंटाघर से सी.एस.ई.बी.चौक, सी.एस.ई.बी.चौक से पावर हाउस रोड सुनालिया होते हुए सीतामणी गौमाता चौक तक अभियान संचालित करें। इसी प्रकार शास्त्री चौक से रिसदी रोड, स्टेडियम रोड, दर्री, बालको आदि क्षेत्रों के मुख्य मार्ग, सर्वमंगला रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गो में रोका–छेका अभियान चलाते हुए सड़कों से मवेशियों को उठाएं तथा कांजीघर व गोठान पहुंचाएं। उन्होने कहा कि कांजीघरों में रखे गए मवेशियों की निर्धारित समय बाद नीलामी करें तथा इस हेतु प्रत्येक माह की 05 तारीख एवं 20 तारीख निर्धारित कर नीलामी का कार्य सम्पन्न कराएं। उन्होने बैठक में उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि व सप्ताह में दो दिन कांजीघर पहुंचकर मवेशियों के स्वास्थ्य की जांच करें।

<u>पशुपालक मवेशियों को सड़कों पर न छोड़े</u>– आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने निगम क्षेत्र में निवासरत समस्त पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पालतू मवेशियों को सड़कों पर खुला न छोड़े, घर पर ही सुरक्षित

रूप से रखें। उन्होने कहा कि मवेशियों के सड़कों पर स्वच्छंद विचरण से आमजन को आवागमन में असुविधा होती है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा मवेशियों को भी चोट लगने, घायल होने का भय बना रहता है, अतः मवेशियों को घर पर ही सुरक्षित रखें। उन्होने कहा कि निगम द्वारा रोका–छेका अभियान के तहत सड़कों से मवेशियों को उठाकर कांजीघर पहुंचाया जा रहा है, निर्धारित अर्थदण्ड अदा करने के बाद ही कांजीघरों से मवेशियों को छोड़ा जाएगा, अतः अर्थदण्ड व असुविधा से बचने के लिए मवेशियों को सड़कों पर खुला न छोड़े।

बैठक के दौरान निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक जे.डी. शुक्ला, कार्यपालन अभियंता आर.के.चौबे, आर.के.माहेश्वरी, एम.एन.सरकार, उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के.सारस्वत, डॉ.संजय तिवारी, पशु चिकित्सक डॉ.सोहन गुर्जर, विवेक रिछारिया, पीयूष राजपूत, अनिरूद्ध सिंह, सुमित गुप्ता, गोयल सिंह विमल, विनोद नेताम, गौरव सिंह आदि के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।